रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938
No. 761] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

का.आ. 1246(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ में अवस्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, जो अपने समृद्ध पर्यावास के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी और वनस्पति हैं, जिसके अंतर्गत तेंदुआ, बंदर, सियार, भालू आदि हैं । वन्यजीव अभयारण्य 104.454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पर्यावासी एशियाई हाथी के लिए अच्छा पर्यावास है और इसे हाथी आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है । पर्यावासी हाथी इस अभयारण्य का उपयोग जल के बहुऋतुजीवी स्रोत और साल वन के साथ एक विश्राम स्थल के रूप में करते हैं ;

और, बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य (वन्यजीव अभयारण्य) छत्तीसगढ़ सरकार अधिसूचना संख्या एक 8-6/2007/10-2 दिनांक 15 सितंबर, 2011 से हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

और, बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन अक्षांश 22⁰51'24.94''उ से 230⁰'53.10'' और देशांतर 83⁰43'41.24''पू से 83⁰'57'23.79'' पू के बीच स्थित है।

और बडालखोल वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, पारिस्थिक पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थ्तिक संवेदी जोन के रूप में संरक्षित आवश्यक हो गया है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन 52.610 वर्ग किलोमीटर में होगा (जिसके अंतर्गत 20.37 वर्ग किलोमीटर आरक्षित/संरक्षित वन और 32.23 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र है) और यह बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य की परिधि से 500 मीटर के भीतर है। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के उपबंध, जहां भी लागू हों, भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक के निबंधनों में बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के ब्यौरे **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(2) सीमा 13 ग्राम अर्थात् बेतरा, बेंड, भीतघारा, कुहूपानी, सराबकोंबो, साहिदानाड, बर्दाड, बेने, झारगांव, गुल्लू, बच्छारावं, डाबरी और कुरसागुरू पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आते हैं तथा वनों के सदभावी उपयोग पर आश्रित हैं।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) छत्तीसगढ़ सरकार उसके क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एक पृथक् आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 21, 26, 27 और सं. 28 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सुदृढीकरण;

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों -**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिमार्ण बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 500 मीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** -परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां -(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची -पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	सिवाय आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के किसी संनिर्माण कार्यकलाप को 1 से 10 से अधिक ढाल वाली पहाडियों पर और किसी नदी और प्राकृतिक नाले से लगभग 100 मीटर तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं:

		तथापि, 500 मीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की 500 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकालापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) 500 किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सनिर्माण और अन्य संनिर्माण कार्यकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
12.	ट्रेन्चिंग ग्राउंड ।	किसी नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13.	प्राकृतिक जल में बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	भूमिगत जल की निकासी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा ।
18.	प्रवासी चारवाहे ।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन ।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाएगा । सभी विद्यमान विद्युत लाइनें जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय-सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में कांटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यामान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धितयों के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
24.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

25.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
26.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
27.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
29.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

a. प्रभागीय आयुक्त, सरगुजा -अध्यक्ष ;

b. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ -सदस्य ;

c. जिला जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जशपुर -सदस्य ;

d. सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है गैर सरकारी संगठन का एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधी -सदस्य ;

e. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का प्रतिनिधी -सदस्य ;

f. कलेक्टर, जशपुर -सदस्य ;

g. अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, अंबिकापुर – सदस्य ;

h. अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थय विभाग इंजीनियर, अंबिकापुर – सदस्य ;

i. नगर और गांव योजना का प्रतिनिधि – सदस्य ;

j. प्रभागीय वन अधिकारी, जशपुर – सदस्य ;

k. वन परिरक्षक और फील्ड निदेशक, हाथी आरक्षिती, अंबिकापुर – सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/149/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ जी.पी.एस. निर्देशांको के बिंदु

क्र.सं.	**अभयारण्य/एन पी नाम**	**विविरण**	**प्रकार**	**अक्षांश (डी.एम.एस.)**	**देशांतर (डी.एम.एस.)**
1	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई1	23°0'41.5152	83°44'52.836
2	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई2	23°0'32.5188	83°46'49.746
3	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई3	22°58'29.1252	83°48'6.4836
4	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई4	22°56'50.0424	83°48'56.7468
5	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई5	22°56'15.3024	83°51'59.6952
6	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई6	22°54'40.0752	83°52'49.9656
7	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई7	22°55'12.7272	83°56'35.6928
8	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई8	22°52'15.9636	83°57'2.124
9	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई9	22°51'25.1712	83°53'38.1588
10	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई10	22°53'21.6888	83°52'0.8076
11	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई11	22°54'20.9988	83°47'50.9172
12	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई12	22°54'8.9208	83°46'44.3532
13	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई13	22°54'17.982	83°44'1.3056
14	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई14	22°57'27.9612	83°43'53.3352
15	बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई15	22°59'2.6232	83°43'46.4556

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर सहित बडालखोल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

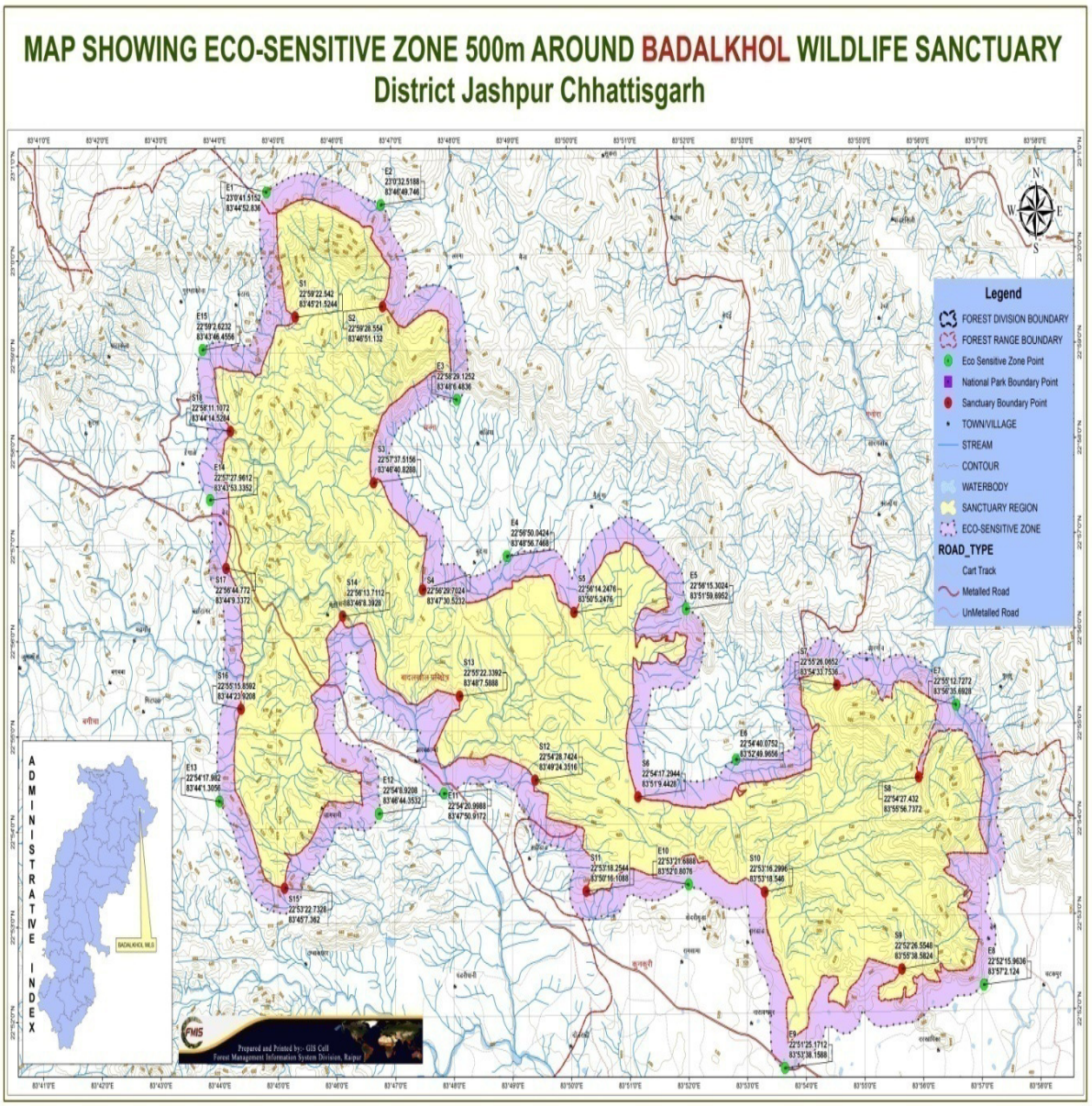

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

S.O. 1246(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Badalkhol Wildlife Sanctuary located in district Jashpur, Chhattisgarh is an important protected area known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including Leopard, Monkey, Jackals Bear, etc. The Wildlife Sanctuary is spread over an area of 104.454 square kilometres provides a good habitat for the migratory Asiatic Elephant and has been declared as an Elephant Reserve. Migratory elephants use this sanctuary as a resting habitat with perennial sources of water and Sal forest;

And whereas, the Badalkhol Wildlife Sanctuary has been notified as an elephant reserve by the Government of Chhattisgarh vide notification No. F 8-6/2007/10-2 dated the 15th September, 2011;

And whereas, the Eco-sensitive Zone of the Badalkhol Widllife Sanctuary lies between 220 51' 24.94" N to 230 0' 53.19" N Latitude and 83^0 43' 41.24" E to 83^0 57' 23.79" E Longitude;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Badalkhol Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 500 meters around the boundary of Badalkhol Wildlife Sanctuary in district Jashpur, in the State of Chhattisgarh as the Badalkhol Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The extent of Eco-sensitive Zone shall be 500 meters around the Badalkhol sanctuary**.** The area of Eco-sensitive Zone shall be 52.610 square kilometres (including 20.37 square kilometres Reserve/Protected Forest and 32.23 square kilometres Revenue area) and falling within 500 metres from the periphery of the Badalkhol Wildlife Sanctuary. The provisions of Indian Forest Act, 1927, Forest Conservation Act,1980, Forest Rights Act, 2006 and other relevant acts wherever applicable shall also apply. The boundary details of Badalkhol Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone in terms of Global Positioning System coordinates are given in **Annexure-I.**

(2) A total of 13 villages, namely, Betra, Bend, Bhitghara, Kuhpani, Sarabkombo, Sahidanad, Bardand, Bene, Jhargaon, Gullu, Bachhraon, Dawari and Khursaguru fall within Eco-sensitive Zone, and are dependent on bona fide use of forests.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue

(vii) Agriculture;

(viii) Chhattisgarh Environment Conservation Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Chhattisgarh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,26,27 and 28 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(a) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(b) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(c) Small scale industries not causing pollution,

(d) Rainwater harvesting, and

(e) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within 500 metre from the boundary of the Badalkhol Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-**The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.—** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial units.-**(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 gradient and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallahs/ streams/ canals/ tributaries.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism such as flying over the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 500m of the boundary of the Wildlife Sanctuary

		except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond 500m and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 500 metre from the boundary of the Badalkhol Wildlife Sanctuary: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond 500 metre upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bonafide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) Ihe felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
Promoted Activities		
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
24.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
27.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone which shall comprise of the following namely:-

(a) Divisional Commissioner, Surguja, Ambikapur -Chairman;

(b) An expert in the area of ecology and environment -Member;
to be nominated by the Government of Chhattisgarh
for a period of one year.

(c) Chief Executive Officer of District Panchayat, Jashpur -Member;

(d) One representatives of Non-governmental Organisation -Member;
(working in the field of environment including heritage
conservation) to be nominated by the Government of
for a period of one year.

(e) Representative of Chhattisgarh Environment -Member;
Conservation Board

(f) Collector, Jashpur -Member;

(g) Supt. Engineer, Public Works Department, Ambikapur -Member;

(h) Supt. Engineer, Public Health Engineering , Ambikapur -Member;

(i) Representative of Town and Country Planning -Member;

(j) Divisional Forest Officer, Jashpur -Member;

(k) Conservator of Forest (Wildlife) and Field Director -Member-Secretary.
Elephant Reserve, Ambikapur

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned .

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/149/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary details with GPS Coordinates of Badalkhol Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Sanctuary/NP Name	Discription	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S1	22°59'22.542	83°45'21.5244
2	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S2	22°59'28.554	83°46'51.132
3	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S3	22°57'37.5156	83°46'40.8288
4	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S4	22°56'29.7024	83°47'30.5232
5	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S5	22°56'14.2476	83°50'5.2476
6	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S6	22°54'17.2944	83°51'9.4428
7	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S7	22°55'26.0652	83°54'33.7536
8	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S8	22°54'27.432	83°55'56.7372

9	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S9	22°52'26.5548	83°55'38.5824
10	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S10	22°53'16.2996	83°53'18.546
11	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S11	22°53'18.2544	83°50'16.1088
12	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S12	22°54'28.7424	83°49'24.3516
13	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S13	22°55'22.3392	83°48'7.5888
14	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S14	22°56'13.7112	83°46'8.3928
15	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S15	22°53'22.7328	83°45'7.362
16	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S16	22°55'15.8592	83°44'23.9208
17	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S17	22°56'44.772	83°44'9.3372
18	Badalkhol WLS	Sanctuary Point	S18	22°58'11.1072	83°44'14.5284

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Badhalkhol Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Sanctuary Name	Description	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E1	23°0'41.5152	83°44'52.836
2	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E2	23°0'32.5188	83°46'49.746
3	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E3	22°58'29.1252	83°48'6.4836
4	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E4	22°56'50.0424	83°48'56.7468
5	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E5	22°56'15.3024	83°51'59.6952
6	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E6	22°54'40.0752	83°52'49.9656
7	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E7	22°55'12.7272	83°56'35.6928
8	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E8	22°52'15.9636	83°57'2.124
9	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E9	22°51'25.1712	83°53'38.1588
10	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E10	22°53'21.6888	83°52'0.8076
11	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E11	22°54'20.9988	83°47'50.9172
12	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E12	22°54'8.9208	83°46'44.3532
13	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E13	22°54'17.982	83°44'1.3056
14	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E14	22°57'27.9612	83°43'53.3352
15	Badalkhol WLS	Eco Sensitive Point	E15	22°59'2.6232	83°43'46.4556

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BADALKHOL WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

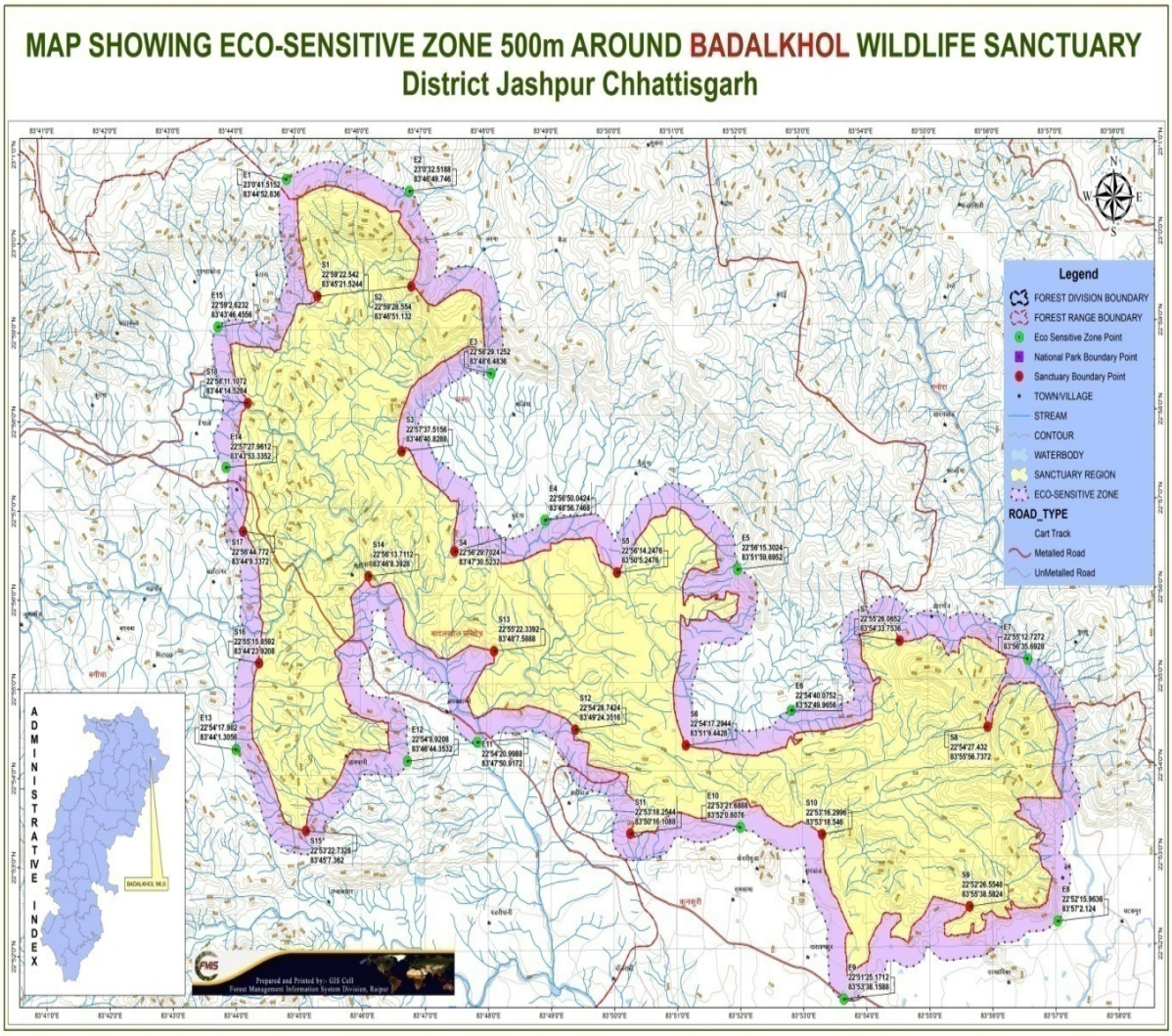

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: -Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.